न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 51/2021/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 9.11.2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. राजबहादुर सिंह आ0 विजय बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।
2. श्रीमती महेश कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।
3. श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।
4. श्रीमती मिनाक्षी पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बडे मठ के पास खातोली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. अजयराज सिंह आत्मज रविन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी जनता टोडी वार्ड–2 मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बांरा।
2. रविन्द्र सिंह आ0 विजय बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी जनता टोडी वार्ड–2 मागरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक–अपीलार्थीगण
श्री भारत सिंह हाडा अभिभाषक–रेस्पो0 कम–1
श्री विश्वजीत सिंह हाडा अभि0 –रेस्पो0 कम 2

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024.

अपीलार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख मांगरोल जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 3/2021 अपील उनवान अजयराज सिंह बनाम राजबहादुर सिंह वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 24.3.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपील सं0 9/2019 मे जिला कलक्टर बांरा द्वारा दिनांक 27.1.2021 को निर्णय पारित कर न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2468 दिनांक 5.11.2018 के मद सं0 1 मे वर्णित आराजी ख0 नं0 988 रकबा 0.36 है0 ख0 नं0 989 रकबा 0.11 है0 ख0 नं0 990 रकबा 0.26 है0 ख0 नं0 991 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 रकबा 0.80 है0 निरस्त किया गया। तथा वसीयतकर्ता विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री माधो सिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल द्वारा अजयराज सिंह के पक्ष मे तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 5.1.2018 की वैधता की जांच कर पक्षकारान की विधिवित सुनवाई कर प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय मे दिये गये निर्देशों की पालना मे इंतकाल नं0 2468 दिनांक 5.11.2018 ग्राम मांगरोल खारिज कर मृतक विजय बहादुंर पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल की वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम मांगरोल की मृतक द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 5.1.2018 को की गई वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहीता

अति. सं. आयुक्त

...ाज सिंह पुत्र रविन्द्रसिंह जाति राजपूत नि0 मांगरोल के पक्ष मे नामान्तरकरण खोलकर राजस्व ...र्ड मे अमलदरामद करने का दिनांक 24.3.2021 को पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 ...राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अपंजीकृत वसीयत को स्वीकार कर नामा0 तस्दीक करने मे भूल की है क्योंकि वसीयत की जांच करने व अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने व तस्दीक करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। वसीयत की जांच करने व प्रमाणित करने का एक मात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। जब तक अपंजीकृत वसीयत दीवानी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही कर दी जावे तब तक नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने शपथ पत्र के आधार पर वसीयत स्वीकार करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 24.3.2021 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि वसीयत की जांच करने व प्रमाणित करने का एक मात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। जब तक अपंजीकृत वसीयत दीवानी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही कर दी जावे तब तक नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने व तस्दीक करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने शपथ पत्र के आधार पर वसीयत स्वीकार कर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे 2020 पेज 123 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजी के घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल मे जेरकार है जिसमे पक्षकारो के हितो का निर्धारण होगा । नामा0 की सरसरी कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे 2020 पेज 123 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा अपील सं0 9/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 27.1.2021 की पालना मे तहसीलदार मांगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2468 दिनांक 5.11.2018 आराजी ख0 नं0 988 रकबा 0.36 है0 ख0 नं0 989 रकबा 0.11 है0 ख0 नं0 990 रकबा 0.26 है0 ख0 नं0 991 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 रकबा 0.80 है0 निरस्त किया गया। तथा वसीयतकर्ता विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री माधो सिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल द्वारा अजयराज सिंह के पक्ष मे तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 5.1.2018 की वैधता की जांच कर मृतक विजय बहादुंरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल की वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम मांगरोल की मृतक द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 5.1.2018 को की गई वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहीता अजयराज सिंह पुत्र रविन्द्रसिंह जाति राजपूत नि0 मांगरोल के पक्ष मे नामान्तरकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने का तहसीलदार मांगरोल द्वारा दिनांक 24.3.2021 को निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि वसीयत की जांच करने व प्रमाणित करने का एक मात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। जब तक अपंजीकृत वसीयत दीवानी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही कर दी जावे तब तक नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे 2020 पेज 123 का न्यायिक उद्धरण पेश किया गया। इसके विपरीत रेस्पो0 का तर्क रहा है कि वादग्रस्त आराजी के घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल मे जेरकार है जिसमे पक्षकारो के हितो का निर्धारण होगा। नामा0 की सरसरी कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। पत्रावली एंव उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत तर्को से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य रेगूलर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल मे जेरकार है जिसमे पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण होना है। अधीनस्थ

अति. सं. आयुक्त
कोटा

4 की पत्रावली के अवलोकन से वसीयत के संबध मे कल्लू खां, मूलचंद पुरूषोतम तथा सत्यनारायण कुल 4 गवाहों के बयान लिया जाना प्रकट है किन्तु पुरूषोत्तम तथा सत्यनारायण सिंह के बयान किस अधिकारी द्वारा लिये गये बयानों से स्पष्ट नही होता है क्योंकि उक्त दोनो बयानों पर बयान लेने वाले सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अप्रार्थीगण राजबहादुर सिंह, महेश कंवर, सुरेश कुमारी, तथा मिनाक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब मे मृतक विजय बहादुंरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत सेवानिवृत अध्यापक होना अंकित किया है जिससे वसीयतकर्ता का सरकारी कर्मचारी होना प्रकट होता है जबकि मृतक के वसीयत पर हस्ताक्षर की जगह निशानी अगूठा विजय बहादुर सिंह अंकित हो रहा है जिसके संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय मे अपना कोई स्पष्ट अभिमत प्रकट नही कर निर्णय पारित किया गया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डीएनजे 2020 पेज 123 मे भी यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि ''अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता–वाद पेश कर खातेदारी अधिकारों की मॉग की जा सकती है''। अतः उपरोक्त विवेचन एंव प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर के आलोक मे हम तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.3.2021 को विधिसम्मत नही पाते है। फलत् अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6 परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार भू0 अभिलेख मांगरोल जिला बांरा प्रकरण सं0 3/21 बउनवान अजयराज सिंह बनाम राजबहादुर सिंह वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 24.3.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे उभयपक्षकार को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुंनः विधिसम्मत व तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा